75	Muzaffarpur west	Sahebganj	Gen.	Talgoura Madhopur Hajari to PMGSY Road Gopiganj Nandu Rai ke Ghar ke Pass Tak	6956	1.554	300	[illegible]
76	Muzaffarpur west	Sahebganj	Gen.	Sahebganj Dewariya SH-74 to Pakari Basarat Rajua Tola Tak	6957	1.786	280	148.380
77	Muzaffarpur west	Sahebganj	Gen.	L058 PMGSY Road to Noniya Tola Dostpur Tak	6958	1.434	400	103.110
78	Muzaffarpur west	Sahebganj	Gen.	L053 Satuahi to Naya Tola Madhubani Tak	6959	1.452	325	105.100
			Total			71.211		5015.730

2. विभागीय सचिव द्वारा निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :—

(क) इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष **2020—21** एवं वर्ष **2021—22** में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मुजफ्फरपुर पश्चिम** योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **मुजफ्फरपुर पश्चिम** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नही है।

(ङ) इस योजना के पंचवर्षीय रख—रखाव की राशि 3054 मद से भारित किया जाएगा।

3. कार्य ई—निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या—BRRDA(HQ)-MMGSY-44/2013 के पृष्ठ—74/टि0 पर प्राप्त है।

5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या— BRRDA(HQ)-MMGSY-**157/18** के **पृष्ठ—81/टि0** पर अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यथता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम—4—53/2007—3758/वि0, दिनांक—31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

11/3/2020